Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 22-2018/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, FEBRUARY 9, 2018 (MAGHA 20, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 फरवरी, 2018

संख्या. 5479.— हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन नियम, 1976 (1975 का अधिनियम, 8) की धारा 24 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्याा पी.एफ.–69/2017/22404, दिनांक 08 सितम्बर, 2017 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन नियम, 1976, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:–

1. (1) ये नियम हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) नियम, 2018, कहे जा सकते हैं।

   (2) ये नियम 7 मार्च, 1976 से लागू हुए समझे जाएंगे तथा मध्यवर्ती अवधि के दौरान उपनिवेशकों द्वारा भुगतान की गई नवीकरण फीस, जो नियमों में इस संशोधन से अधिक हो सकती है, जब्त हो जाएगी।

2. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन नियम, 1976, में नियम 13 में

   (i) खण्ड (i) में;–

      (क) उप–खण्ड (क) में, ''अनुज्ञप्ति के जारी करने के लिए नियम 3 में विहित फीस के 10 प्रतिशत की दर पर'' शब्दों, अंकों तथा चिह्नों के स्थान पर, ''नियम 3 में विहित अनुज्ञप्ति फीस का 10 प्रतिशत जो नवीकरण के लिए आवेदन की तिथि को अभिभावी हैं,'' शब्द, अंक तथा चिह्नन प्रतिस्थापित किए जाएगें;

      (ख) उप–खण्ड (ख) में, ''अभी पूर्ण किए जाने वाले कार्य की प्रतिशतता पर आधारित, खण्ड 13(i)(क) में विहित दर पर संगणित की गई राशि के 25 प्रतिशत से अन्यून नहीं। उपरोक्त प्रतिशतता 5 के गुणज से पूर्ण की जा सकती है।'' शब्दों, कोष्ठकों, अंकों तथा चिह्ननों के स्थान पर, ''आंशिक समापन प्रमाणपत्र देने के समय पर अभिभावी दरों के अनुसार नियम 3 में विहित फीस का 2.5 प्रतिशत, उस क्षेत्र के लिए उद्गृहीत की जाएगी, जिसके लिए आंशिक समापन प्रमाणपत्र दिया गया है, जबकि शेष क्षेत्र के लिए उपरोक्त उप–खण्ड (क) में विहित फीस उद्गृहीत की जाएगी;''शब्द, चिहन, अंक तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

   (ii) खण्ड (ii) का लोप कर दिया जाएगा;

   (iii) खण्ड (v) में ''अनुज्ञप्ति'' शब्द के स्थान पर, ''सत्यापन के लिए अनुज्ञप्ति'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

अरूण कुमार गुप्ता,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 9th February, 2018

No.5479.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-section (2) of Section 24 of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (8 of 1975) and with reference to Haryana Government, Town and Country Planning Department, Notification No. PF-69/2017/22404 dated the 8th September, 2017, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Rules, 1976 namely:-

1. (1) These rules may be called the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Rules, 2018.

(2) The rules shall deemed to have come into force with effect from 7th March, 1976 and during the intervening period the renewal fee paid by the colonizers, which may become excess with this amendment in the rule, shall be forfeited.

2. In the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Rules, 1976, in rule 13,

(i) in clause (i),

(a) in sub-clause (a), for the words, figures and signs "at the rate of 10% of the licence fee prescribed in rule 3 for the issuance of licence", the words, figures and sign "10% of the licence fee prescribed in rule 3 as prevailing on the date of application for renewal" shall be substituted;

(b) In sub-clause (b), for the words, figures brackets and signs "not less than 25% of the amount calculated as per rates prescribed in rule 13 (i)(a), based on the percentage of work still to be completed. The above percentage may be rounded off to multiples of 5", the words, figures brackets and sign "2.5% of the fee prescribed in rule 3 as per the prevailing rates at the time of grant of part completion certificate, shall be levied on area for which the part completion certificate is granted, whereas for remaining area the prescribed fee as mentioned sub-clause (a) shall be levied" shall be substituted;

(ii) Clause (ii) shall be omitted;

(iii) In Clause (v), for the words "the licence", the words "the licence for verification" shall be substituted.

ARUN KUMAR GUPTA,
Principal Secretary to Government Haryana,
Town and Country Planning Department.

55974—C.S.—H.G.P., Chd.